हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी, शिमला के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018
भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्नलिखित अधिकारी अकादमी के सचिव एवं आहरण व वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत्त रहे।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री अशोक हंस	1.4.2016 से 31.3.2017
	श्रीमती प्रभा राजीव	1.4.2017 से 22.6.2017
	डॉ0 कर्म सिंह	23.6.2017 से 31.3.2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	7	उधार दी गई कैसटों तथा पुस्तकों की वसूली न करना	0.67
2	8	अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में से बिक्री हेतु बकाया पुस्तकों का शेष पाया जाना	17.38
3	9	पहाड़ी गीतों की कैसटों का बिक्री हेतु स्टॉक में शेष पाया जाना	1.97
4	10	कम्पयूटर सैंटर के किराए का अनुचित भुगतान करना	4.92
5	11	सेवा निवृत कर्मचारियों को अन्तरिम राहत के रूप में अधिक भुगतान किया जाना	0.92

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

अकादमी के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों मे सम्मिलित अनिर्णीत अनुच्छेदों की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई तथा समीक्षा के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी, शिमला के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री हरदेव सिंह शांडिल, सहायक नियंत्रक व श्री सुनिल कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26.4.2018 से 4.6.2018 के दौरान अकादमी के कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिये माह 8/2016 व 8/2017 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 3/. 2017 व 12/2017 का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अकादमी के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी के अवधि 4/2016 से 3/2018 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹33400 बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को बैक ड्राफट के माध्यम से भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 25 दिनांक 4.6.2018 द्वारा सचिव, हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी शिमला–171001 से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी द्वारा प्रस्तुत अकादमी की अंकेक्षणाधीन अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "क–1"** व **"क–2"** तथा उनसे सम्बन्धित ब्यौरा **उप–परिशिष्ट "1 से 10"** में सलंग्न है।

	2016–17	**2017–18**
प्रारम्भिक शेष	**10434242.90**	**10886660.90**
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	21064891.00	23781045.00
योग	**31499133.90**	**34667705.90**
वर्ष के दौरान व्यय	20612473.00	22562152.00
अन्तशेष	**10886660.90**	**12105553.90**

दिनांक 31.3.2018 को बैकों में जमा राशि व स्थाई निधि का अन्तिम शेष

1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छोटा शिमला, खाता संख्या 55069385925	11146856.16
2	यूको बैंक हिमलैंड शिमला खाता संख्या 1555010003791	462366.00
3	हि0प्र0 राजकीय सहकारी बैंक सीमित छोटा शिमला, खाता संख्या 4350102910	340069.00
4	स्थाई निधि	5000.00
5	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (संस्कृति सदन हमीरपुर) खाता संख्या 55126075330 में जमा राशि	151262.74
	योग	**12105553.90**

नोटः– दिनांक 31.3.18 बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया छोटा शिमला, खाता संख्या 55069385925 से बैंक द्वारा गलती से निकली गई ₹15404 बैंक द्वारा वापिस खाते में दिनांक 5.4.2018 को जमा कर दी गई जिसकी पुष्टि बैंक पासबुक/रोकड़ बही से अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी।

5 संविधान की धाराओं की अनुपालना में कार्यकारी परिषद/सामान्य परिषद की वार्षिक बैठक का न करवाया जाना व अकादमी बजट का अनुमोदन न करवाया जानाः–

हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी के संविधान की धारा 18(B)(i) के अनुसार "The Executive Council shall ordinarily meet four times in a year." तथा 18(a)(i) के अनुसार "The Meeting of the General Council shall ordinarily be held once in a year" तथा धारा (12)(iv) के अनुसार "The General Council have to approve the annual budget of the Academy"। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अकादमी की अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 तक की आय व व्यय का अनुमोदन दिनांक 9.7.2017 को हुई कार्यकारी परिषद की बैठक की कार्यवाही में करवा लिया गया था, परन्तु संविधान की धारा 18(a)(i) के अन्तर्गत सामान्य परिषद की बैठक में अकादमी का बजट पारित करवाया जाना अपेक्षित था। परन्तु अकादमी द्वारा वर्ष 2016–17 के बजट कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु संविधान के अनुसार गठित सामान्य परिषद की बैठक में अनुमोदन नहीं करवाया गया। इसी प्रकार अकादमी द्वारा बर्ष 2017–18 की आय व्यय का अनुमोदन न तो कार्यकारी परिषद से करबाया गया और न ही सामान्य परिषद से करवाया गया । इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों में बार–बार भी आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु अकादमी ने इस सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अतः यह मामला प्रदेश सरकार के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 अकादमी द्वारा हिमाचल प्रदेश की कला, संस्कृति एवं भाषा की कार्य योजनाओं हेतु बनाए नियमों के अनुसार पत्रिकाओं को तय निर्धारित सीमा में प्रकाशित न करवाने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कला, साहित्य, संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन तथा प्रदेश की संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी के गठन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 8–9/71–एल0डब्लयू0पी0/(लैंग्वेज) को दिनांक 14 अप्रैल, 1971 को जारी किया गया था तथा अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अकादमी की कार्यकारी परिषद द्वारा 28 मार्च, 2005 तथा 22 नवम्बर, 2006 की बैठकों में पारित अकादमी की योजनाओं के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक, सम्पदा और साहित्य को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से त्रैमासिक पत्रिका "सोमसी" पहाड़ी भाषा की उन्नति व विकास के उद्देश्य से अर्धवार्षिक पत्रिका "हिम भारती" तथा पहाड़ी एवं संस्कृति भाषा में लेखकों को प्रोत्साहित करने एवं संस्कृति भाषा की उन्नति और विकास के उद्देश्य से अर्धवार्षिक "श्यामला" (संस्कृत) के प्रकाशन का निर्णय लेते हुए इन पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ किया गया था। अकादमी द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट–"ख"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना व इससे सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि अकादमी द्वारा "सोमसी" पत्रिका का अक्तूबर–दिसम्बर, 2015 का अंक जनवरी–मार्च, 2016 के अंक के साथ, अप्रैल–जून 2016 का अंक जुलाई –सितम्बर 2016, अक्तूबर–दिसम्बर 2016 का अंक जनवरी–मार्च 2017 तथा जुलाई–सितम्बर 2017 का अंक अक्तूबर–दिसम्बर 2017 के अंक के साथ अर्धवार्षिक के आधार पर प्रकाशित किया गया, जबकि नियमानुसार यह पत्रिका त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित की जानी थी, यद्यपि इस पत्रिका का प्रकाशन अर्धवार्षिक तौर पर करवाने बारे अनुमति सक्षम परिषद/अधिकारी से प्राप्त कर ली गई थी फिर भी अकादमी द्वारा जो मूल नियम इन पत्रिकाओं को प्रकाशित करने बारे बनाए गए थे, उनको ध्यान में नहीं रखा गया, जिससे इस पत्रिका का महत्व कम हो रहा है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस पत्रिका को प्रकाशित करने हेतु जो मूल नियम बनाए गए थे, उनके आधार पर ही इसको प्रकाशित करवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि पत्रिकाओं की महत्वता बनी रहे। उक्त के अतिरिक्त अकादमी द्वारा बनाए गए नियमों के चैप्टर–1 "पत्रिका प्रकाशन योजना नियम" के आधार पर समस्त पत्रिकाओं का प्रकाशन 300 से 500 प्रतियाँ तक करने का प्रावधान रखा गया था, जबकि अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के दौरान हिमभारती पत्रिका अंक जनवरी–जून, 2016 की 250 पत्रिका श्यामला पत्रिका अंक अवधि जनवरी–जून, 2016 की 200̐ तथा सोमसी पत्रिका का अंक अवधि अक्तूबर–मार्च, 2016 के अंक की 300 मुद्रित करवाई पत्रिकाओं के

अवलोकन पर पाया गया कि पत्रिकाओं को बेचने तथा अन्य को देने के उपरान्त भी ₹40530 की पत्रिकाएं बच गई थी और यदि प्रत्येक वर्ष इतनी अधिक मात्रा में पत्रिकाएं बच जाएं तो अकादमी को अनावश्यक ही नुकसान उठाना पड़ता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि इन पत्रिकाओं का प्रकाशन पूर्व वर्षों के विक्रय/खपत के आधार पर ही करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि वर्ष के अन्त में अनावश्यक पत्रिकाएं शेष में न बचे।

7 उधार दी गई कैसटों तथा पुस्तकों मूल्य ₹0.67 लाख की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अकादमी द्वारा विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों/कार्यालयों को ₹16178 की कैसटों तथा ₹50998 की पुस्तकें उधार में सप्लाई की गई थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"ग–1 व ग–2"** पर दिया गया है तथा इनकी वसूली हेतु कोई गम्भीर प्रयास नहीं किए गए प्रतीत होते है। उक्त परिशिष्टों में दी गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि अकादमी द्वारा कई व्यक्तियों/फर्मों/कार्यालयों को यह कैसटें तथा पुस्तकें अवधि 1/2001, 4/2003, 11/2004, 1/2005, 9/2009, 4/2013, 9/2013 तथा 8/2014 के दौरान उधार दी गई थी तथा इनकी वसूली अभी तक नहीं की गई थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अकादमी उक्त राशि की वसूली हेतु गम्भीर नहीं है। अतः अकादमी द्वारा राशि की वसूली अभी तक न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए और उक्त ₹67176 की वसूली हेतु शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में से विक्रय हेतु ₹17.38 लाख की बकाया पुस्तकों का शेष पाया जानाः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम (भाग–1) की धारा 15.2 (1) के अनुसार किसी भी संस्था द्वारा उतनी ही सामग्री की खरीद करनी चाहिए जितनी अनिवार्य है, ताकि संस्था की आय से अनियमित व्यय न हो। इसके साथ धारा 15.19 के अनुसार स्टोर में तय सामग्री से अधिक समाग्री नहीं होनी चाहिए। यदि स्टोर में मांग से ज्यादा सामग्री को रखा जाता है और उसका उपयोग कई वर्षों से नहीं हो रहा हो इसको सरकारी राशि का अपव्यय माना जाएगा।

जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015–16 में अकादमी के स्टोर में विक्रय हेतु शेष पुस्तकें ₹1668489 के मूल्य के बराबर थी तथा **परिशिष्ट–"घ"** के अनुसार वर्ष 2017–18 के दौरान शेष पुस्तकों की मात्रा 1738684.00 के मूल्य के बराबर थी, जिसमें वर्ष 1999 से वर्ष 2017 तक छपवाई गई पुस्तके भी सम्मिलित है। लेखा परीक्षा को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेखों से यह भी प्रतीत होता है कि अकादमी द्वारा प्रदेश सरकार से लाखों रूपये के अनुदान की राशि प्राप्त करके उसमें से हर वर्ष बहुमूल्य पुस्तकें प्रकाशित तो

करवाई जा रही है, परन्तु इन पुस्तकों की बिक्री हेतु अकादमी द्वारा कोई विशेष प्रयत्न न करने के कारण इनकी बिक्री बहुत कम हुई है, जिससे इन पुस्तकों के प्रकाशन का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि स्टॉक में पड़ी पुस्तकों की बिक्री हेतु विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि पुस्तकों के प्रकाशन का प्रयोजन सफल हो सके।

9 पहाड़ी गीतों की ₹1.97 लाख की कैसटों का बिक्री हेतु स्टॉक में शेष पाया जानाः—

अकादमी द्वारा **परिशिष्ट—"ङ"** में दिए गए विवरणानुसार ₹196740 की पहाड़ी गीतों की कैसटें स्टॉक में बकाया में थी। अकादमी द्वारा वर्ष 2016—17 व 2017—18 में किसी भी कैसट की बिक्री नहीं हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अकादमी द्वारा इनकी बिक्री हेतु कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए गए है। अतः यह मामला विशेष रूप सें उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है इन कैसटों का जो स्टॉक बकाया है और अभी तक उनको बेचा नहीं गया है, उनकी संस्था द्वारा अपने स्त्तर पर आन्तरिक जाँच की जाए तथा यदि अकादमी को इससे नुकसान हुआ है तो उसका आंकलन करके इसकी भरपाई उचित स्त्रोत से की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 कम्पयूटर सैन्टर के किराये ₹4.92 लाख का अनुचित भुगतान करनाः—

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (भारत सरकार) की राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद, नई दिल्ली द्वारा हिमाचल कला, संस्कृति, भाषा अकादमी के सहयोग से एक कम्पयूटर सैंटर, शिमला में स्थापित करने के लिए माननीय शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.1999 को बैठक आयोजित हुई थी। उक्त बैठक के प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार अकादमी द्वारा कम्पयूटर सैन्टर शिमला में आरम्भ करने के लिए दो कमरे व बैठने के लिए स्थान उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के अनुसार अकादमी से पहले किराए पर लिए गए क्लिफ—एण्ड—एस्टेट, शिमला स्थित चौहान भवन में स्थापित संस्कृति सदन, शिमला के आधे क्षेत्र में कम्पयूटर सैन्टर के लिए स्थान उपलब्ध करवाया गया। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार कम्पयूटर सैन्टर के किराये का भुगतान जून, 2008 से पूर्व कम्पयूटर सैन्टर द्वारा तथा उसके बाद अकादमी द्वारा किया जा रहा था, परन्तु बाद में कार्यकारी परिषद की बैठक, जोकि दिनांक 14.1.2009 को आयोजित हुई थी, की मद संख्या 13 के अनुसार यह निर्णय लिया था कि कम्पयूटर सैन्टर को "कार्प्स फण्ड" से चलाया जाए ताकि अकादमी पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े तथा आगामी वर्ष के लिए फीस बढ़ाने हेतु समीक्षा करके वित्तीय संसाधन जुटाकर कम्पयूटर सैन्टर की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। कार्य परिषद के उक्त निर्णय के उपरान्त 1/2009 से कम्पयूटर सैन्टर,

जोकि संस्कृति सदन शिमला के आधे क्षेत्र में चलाया जा रहा है, का आधा किराया कम्पयूटर सैन्टर द्वारा "कार्प्स फण्ड" से वहन करना अपेक्षित था, परन्तु अकादमी के अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्कृति सदन शिमला जिसके आधे क्षेत्र में कम्पयूटर सैन्टर को भी चलाया जा रहा है, के माह 1/2009 से 3/2018 के किराये की ₹492023 (₹984046÷2) का भुगतान, अकादमी द्वारा ही किया गया था, जो कि उचित नहीं है । यह मामला अंकेक्षण के दौरान अकादमी सचिव महोदय से उठाया गया इस सन्दर्भ में चर्चा के दौरान बताया गया कि कम्पयूटर सैन्टर द्वारा अकादमी के संस्कृत सदन व विश्राम गृह के बिजली व पानी के बिलों का भुगतान वर्ष 2009 से किया जा रहा है। इसलिए कम्पयूटर सैन्टर से उक्त ₹490023 के किराए की वसूली की जानी उचित नही है। परन्तु इस सन्दर्भ में कम्पयूटर सैन्टर द्वारा भुगतान किए गए बिजली व पानी के बिलों की राशि की सूची अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही की गई जिसके अभाव में अंकेक्षण के दौरान यह ज्ञात नही हो सका कि कम्पयूटर सैन्टर द्वारा कितनी राशि के बिजली पानी के बिलों का भुगतान किया गया । अतः कम्पयूटर सैन्टर द्वारा भुगतान किए गए बिजली व पानी के बिलो के भुगतान का विवरण तैयार किया जाए तथा उक्त बिजली पानी के बिलों की राशि को कम्पयूटर सैन्टर के किराए में समायोजित करने के उपरान्त शेष किराए की राशि की वसूली कम्यूटर सैन्टर से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा इस बिजली पानी के बिलों के भुगतान व समायोज की राशि को कार्यकारी परिषद से अनुमोदन करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए।

11 सेवा निवृत कर्मचारियों की अन्तरिम राहत के रूप में ₹0.92 लाख का अधिक भुगतान किया जानाः–

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन(पी0आर0)–बी(7)–1/2016 दिनाक 9–2–2018 द्वारा मूल वेतन व ग्रेड पे पर 1–1–2016 से 8%की दर से (अंतरिम राहत) दी गई परन्तु बाउचर संख्या 449 दिनांक 12–3–2018 द्वारा अन्तरिम राहत 17% की दर से करने के कारण ₹91600 का अधिक भुगतान किया गया यद्यपि इस अनियमितता के मालूम होने पर इस अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बंधित सेवानिवृत कर्मचारियों से माह 03/2018 व 04/2018 में कर ली गई है। इसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान अभिलेख से कर ली गई। अतः भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए:–

Name	B.P+G.P	Period	I.R.8% Amount Due	Drawn	I.R. Execess Drawn
श्री अशोक हॅस सेवानिवृत सचिव	33080+5400 34240+5400	1–1–2016 से 31–7–2016 1–8–2016 से 31–3–2017	3078×7=21546 3171×8=25368 ———————— योगः– 46914–00	83850–00	36936–00
श्री देव राज संसालवी अधीक्षक सेवानिवृत	24010+4800 24880+4800	1–1–2016 से 30–6–2016 1–7–2016 से 31–10–2016	2304.80×6=13828 2374.40×4=9498 ———————— योगः– 23326–00	45120–00	21794–00
श्रीमती निर्मल कौशल प्रूफ शोधक सेवानिवृत	22400+4200	1–1–2016 से 30–3–2016	2128×3=6384	13566–00	7182–00
श्रीमती सुनीता गौतम अनुसंधान अधिकारी सेवानिवृत	25530+4800 26440+4800	1–1–2016 से 30–6–2016 1–4–2016 से 31–12–2016	2426×3=7278 2499×9=22491 ———————— योगः– 29769–00	55457–00	25688
				कुल योग	**91600–00**

12 समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों के लिए विज्ञापन रजिस्ट्रर का रख–रखाव न किया जानाः–

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कला व साहित्य के क्षेत्र मे उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मान व पुरस्कार प्रदान करने हेतु समाचार पत्रों में आवेदन आमंत्रित करने हेतु दिए गए विज्ञापनों के बिलों का भुगतान किया गयाः–

वाउचर संख्या	माह	भुगतान का विवरण	राशि
432	12/2016	समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक 24–11–2016 के अंक में प्रकाशित विज्ञापन के बिल संख्या 710848998 दिनांक 24–11–2016 .	8856
437	12/2016	हिन्दुस्तान टाईम्स समाचार पत्र के दिनांक 24–11–2016	7505

		के अंक में प्रकाशित विज्ञापन बिल संख्या 0103735249 दिनांक 24–11–2016	

परन्तु उक्त विज्ञापन के बिल की प्रविष्टियॉ किसी भी रजिस्ट्रर /अभिलेख मे नहीं की गई थी जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार उक्त विज्ञापन के बिलों की प्रविष्टियां विज्ञापन रजिस्टर में की जाए ।

13 गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारियों को ₹598 का अधिक भुगतान किया जाना।

श्री राकेश कुमार शर्मा चौकीदार व श्री अमर सिंह सेवादार की नियुक्ति कार्यालय आदेश संख्या क.स.म./ख–95/2015–3309 व 3913 दिनांक 06–04–2015 द्वारा की गई तथा उन्होने अपनी कार्यग्रहण सूचना दिनांक 07–04–2015 को कार्यालय में प्रस्तुत की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की अधिूसूचना संख्याः फिन(पी0आ0)–बी.(7)–64/2010 दिनांक 27–09–2012 के अनुसार उक्त कर्मचारी का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर दिनांक 01–04–2017 को वेतन का निर्धारण निम्नविवरणानुसार देय वेतन से अधिक करने के कारण ₹598 का अधिक भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिक किए गए भुगतान की वसूली सम्बंधित कर्मचारियों से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए।

(क) श्री राकेश कुमार चौकीदार को ₹299 का अधिक किए गए भुगतान का विवरणः–

अवधि	देय वेतन (प्रतिमाह)	निर्धारित वेतन (प्रतिमाह)	अन्तर	अधिक भुगतान की राशि
1.04.2017 से 30.06.2017	5290+1650 =6940	5300+1650 =6950	10+13DA(134%) =23	**23×3=69**
1.07.2017 से 31.12.2017	5290+1650 =6940	5300+1650 =6950	10+13DA(137%) =23	**23×6=138**
1.01.2018 से 31.3.2018	5290+1650 =6940	5300+1650 =6950	10+13DA(137%) =23	**23×3=69**
1.04.2018 से 31.4.2018	5500+1650 =7150	5510+1650 =7160	10+13DA(137) =23	**23×1=23**
			योगः–	**299**

(ख) श्री अमर सिंह सेवादार **को ₹299 का अधिक किए गए भुगतान का विवरणः—**

अवधि	देय वेतन (प्रतिमाह `)	निर्धारिण वेतन (प्रतिमाह `)	अन्तर	अधिक भुगतान की राशि
1.04.2017 से 30.06.2017	5290+1650 =6940	5300+1650 =6950	10+13 DA (134%) =23	**23×3=69**
1.07.2017 से 31.12.2017	5290+1650 =6940	5300+1650 =6950	10+13 DA (137%) =23	**23×6=138**
1.01.2018 से 31.3.2018	5290+1650 =6940	5300+1650 =6950	10+13 DA (137%) =23	**23×3=69**
1.04.2018 से 31.4.2018	5500+1650 =7160	5510+1650 =7150	10+13 DA (137%) =23	**23×1=23**
			योग	**299=00**

14 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में ₹350 का अनुचित एवं अधिक भुगतान किया जानाः—

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित भुगतान अनुचित पाए गए जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को आगामी अंकेक्षण से अवगत करवाया जाए।

वा0संख्या/ माह	कर्मचारी का नाम	Test का नाम	देय राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान की गई राशि
498/ 03.02.2018	श्री राकेश कुमार चौकीदार	CBC	50		
		L F T	70		
		HBSSAG	60		
		HCV	200		
		Total	**380**	**450**	**70.00**
		अल्ट्रासाउंड	**120.00**	**400.00**	**280.00**
				योग	**350.00**

15 अकादमी द्वारा क्रय किए गए वाहन की औसत 3 वर्ष पश्चात् भी निर्धारित न किया जाना।

अकादमी द्वारा वाउचर सख्या 321 व 349 द्वारा माह 03/2015 में मारूति सुजुकी K-10 का क्रय रूप्ये 3,57,355—00 में किया गया परन्तु उक्त वाहन की औसत पिछले तीन वर्षो के उपरान्त भी निर्धारित नही की गई जबकि वित्त विभाग हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या फिन—17सी(14)1/83 दिनांक 8.9.1987 के अनुसार नियंत्रण अधिकारी से प्रत्येक वर्ष

वाहन की औसत निर्धारित करवानी आवश्यक है तथा वाहन चालक द्वारा निर्धारित की गई उक्त औसत के अनुसार उस वर्ष के लिए तेल की खपत की जाएगी। इस प्रकार नियंत्रण अधिकारी द्वारा वाहन की औसत निर्धारित न करने के कारण वाहन में ईधन की वास्तविक खपत की जानकारी नही रखी जा रही है जिसके अभाव में वाहन की औसत की जॉच नही की जा सकी । अतः वाहन की औसत निर्धारित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वाहन की औसत यथाशीघ्र निर्धारित करवाकर अनुपालन से इस विभाग को अवगत किया जाए।

16 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 140 के अनुसार प्रत्येक वर्ष में एक बार स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अकादमी द्वारा सामग्री/वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification of Store) मार्च, 2015 के उपरान्त नहीं करवाया गया था, जोकि उक्त नियमानुसार उचित नहीं है। अतः स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष में एक बार स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 लघु आपत्ति विवरणिकाः– लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 निष्कर्षः– लेखाओं में अधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– 1/269/74- फिन(एल0ए0) खण्ड–19–6648–6650 दिनांक10.10.18 शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, हिमाचल प्रदेश संस्कृति भाषा अकादमी शिमला–171001 हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0, शिमला–09

3 विशेष सचिव (भाषा एवं संस्कृति) हि0प्र0 सरकार शिमला–171002

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट "क"

(पैरा संख्या 1 (ग) से सन्दर्भित)

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों में की गई कार्यवाही उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति

(क)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1988

1 पैरा–7 अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1994

1 पैरा–25 अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1995

1 पैरा–6 अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/1996

1 पैरा–6 अनिर्णीत

2 पैरा–19 अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1997

1 पैरा–6 अनिर्णीत

2 पैरा–23 (1, 2, 3, 4, 5) अनिर्णीत

3 पैरा–28 अनिर्णीत

4 पैरा–28 (1, 4) अनिर्णीत

5 पैरा–37 (1 से 4) अनिर्णीत

6 पैरा–38 (2) अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/1998

1 पैरा–7 (ख) अनिर्णीत

2 पैरा–15 अनिर्णीत

3 पैरा–16 अनिर्णीत

4 पैरा–17 अनिर्णीत

5 पैरा–19 अनिर्णीत

6 पैरा–22 अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/1999

1 पैरा–11 अनिर्णीत

2 पैरा–23 अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2001

1	पैरा–27 (क, ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–27 (घ)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–13	अनिर्णीत
3	पैरा–16 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
4	पैरा–17	अनिर्णीत
5	पैरा–18 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा–23 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
7	पैरा–24	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा–14	अनिर्णीत
2	पैरा–15	अनिर्णीत
3	पैरा–28	अनिर्णीत
4	पैरा–30	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा–16	अनिर्णीत
2	पैरा–18	अनिर्णीत
3	पैरा–21	अनिर्णीत
4	पैरा–22	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा–11	अनिर्णीत
2	पैरा–15	अनिर्णीत
3	पैरा–16	अनिर्णीत

(ड.) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–14	अनिर्णीत

3	पैरा–16	अनिर्णीत
4	पैरा–19	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा–19	अनिर्णीत
2	पैरा–21	अनिर्णीत
3	पैरा–22	अनिर्णीत
4	पैरा–26	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत
4	पैरा–12	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा–9	अनिर्णीत
2	पैरा–10	अनिर्णीत
3	पैरा–15	अनिर्णीत
4	पैरा–20	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–6	आंशिक निर्णीत	(₹830000 में से ₹480000 का उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया तथा शेष ₹350000 में से ₹84228 का व्यय अंकेक्षण समाप्ति तक किया गया। अतः बकाया शेष ₹265772 या तो उसी उद्देश्य हेतु व्यय की जानी सुनिश्चित की जाए जिस प्रयोजन हेतु यह प्राप्त हुई थी अन्यथा इस राशि को भाषा एवं संस्कृति विभाग को वापिस लौटाया जाए तथा इन दोनों अवस्थाओं में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को यथापेक्षित प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए)
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	अनिर्णीत	

4	पैरा–11(क)(1)	निर्णीत	(₹3708 की वसूली वाउचर संख्या 167 माह 10/2013 के द्वारा 4–9–14 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण की बकाया राशि से की गई)
5	पैरा–11(क)(2)	निर्णीत	(₹3000 की वसूली माह 03/2014 के वेतन जिसका भुगतान माह 04/2014 के वाउचर संख्या 267 के द्वारा किया गया, से की गई)
6	पैरा–11(क)(3)	निर्णीत	(₹700 की वसूली माह 03/2014 के वेतन जिसका भुगतान माह 04/2014 के वाउचर संख्या 267 के द्वारा किया गया, से की गई)
5	पैरा–12	अनिर्णीत	
6	पैरा–16	आंशिक निर्णीत	(क्योकि प्रकाशन एवं कैसेटस के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के स्टॉक सत्यापन की पुष्टि तो अंकेक्षण से करवा ली गई है। अतः प्रकाशन एवं कैसेटस का स्टॉक सत्यापन भी करवाने के अतिरिक्त भविष्य में सभी स्टॉक वस्तुओं का स्टॉक सत्यापन नियमानुसार प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए)

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा–8(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–12	अनिर्णीत
3	पैरा–18	अनिर्णीत
4	पैरा–19	अनिर्णीत
5	पैरा–20	अनिर्णीत

(प) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा–7	अनिर्णीत	
2	पैरा–9	अनिर्णीत	
3	पैरा–12	अनिर्णीत	
4	पैरा–14	आंशिक निर्णीत	(₹7500 की वसूली वेतन माह 7/2014 से 8/2015 तक कर ली गई और बकाया राशि की गणना करके उसकी भी वसूली करनी सुनिश्चित की जाए)

5	पैरा–17	निर्णीत	(हिमाचल भवन दिल्ली में व ललित कला अकादमी नई दिल्ली के विश्राम गृह में आवास की सुविधा उपलब्ध न होने से सम्बंधित अभिलेख के अवलोकन उपरान्त)
6	पैरा–20 (ग)	अनिर्णीत	

(फ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–10	अनिर्णीत

(ब) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–10	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत
4	पैरा–12	अनिर्णीत
5	पैरा–14	अनिर्णीत
6	पैरा–15	अनिर्णीत
7	पैरा–16	अनिर्णीत

(भ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2016

1	पैरा–3	निर्णीत	
2	पैरा–4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित)
3	पैरा–5	अनिर्णीत	
4	पैरा–6(क)(ख)	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
5	पैरा–7	निर्णीत (वर्णित)	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
6	पैरा–8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित)
7	पैरा–9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित)

8	पैरा–10	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
9	पैरा–11	निर्णीत	(भुगतान वाउचरों की जॉच उपरान्त)
10	पैरा–12(1)	निर्णीत	(भुगतान वाउचरों की जॉच उपरान्त)
11	पैरा–12(2)	अनिर्णित	
12	पैरा–13	निर्णीत	(₹277 की वसूली के सत्यापन करने उपरान्त)
13	पैरा–14	निर्णीत	